रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 1974/वैशाख 17, 1896
No. 113] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 1974/VAISAKHA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May 1974

G.S.R. 216(E)/IDRA/30/1/74/7.—The following draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 7th June, 1974.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Fifth Amendment) Rules, 1974.

2. In sub-rule (3) of rule 7 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, for the abbreviation and figures "Rs. 50", the abbreviation and figures "Rs. 500", shall be substituted.

[No. F. 14(2)/L.P./74]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1974

सा० का० नि० 216 (अ)/आई डी आर ए/30/1/74/7.—औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 7 जून, 1974 को या के पश्चात विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (पांचवां संशोधन) नियम, 1974 है।

2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 7 के उपनियम (2) में, "50 रु०" अंकों और संक्षेपाक्षर के स्थान पर "500 रु०" अंक और संक्षेपाक्षर रखे जाएंगे।

(सं० फा० 14(2)/एल० पी/74)

सुरेश कुमार सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974